उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10
संख्या ई–10–04/दस–2013–एच–103/2008
लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

मा0 मंत्रिगण की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियमावली तैयार किये जाने के सम्बन्ध में गोपन अनुभाग–1 द्वारा समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री बी0के0 सिंह, विशेष सचिव, वित्त को एतद्द्वारा सदस्य नामित किया जाता है।

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या ई–10–04(1)/दस–2013, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्टाफ आफीसर को मुख्य सचिव महोदय के अशासकीय पत्र संख्या–14/1/7/2012–सी0एक्स0–1, दिनांक 07–12–2012 के संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, के प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग (श्री एम0 देवराज, डा0 बी0एम0 जोशी एवं श्री अजय अग्रवाल) को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– श्री बी0के0 सिंह, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
5– गोपन अनुभाग–1
6– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2, वित्त (सेवायें) अनुभाग–4
7– प्रभारी, निकनेटसेल, वित्त विभाग।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
विशेष सचिव।